राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3545/2016
कर्मवीर मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्तालय, जयपुर शहर, जयपुर।
3. उपायुक्त पुलिस, मुख्यालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.02.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2014–15 ली थी, जिस योग्यात्मक परीक्षा में अपीलार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया गया था। बाद में आदेश दिनांक 02.09.2016 जारी किया गया, जिसके द्वारा पदोन्नति हेतु गठित बोर्ड द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों की सूची में नहीं रखा गया। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी। उससे यह सूचना प्राप्त हुई कि अपीलार्थी को ईनाम व रिवॉर्ड के पेटे कोई अंक नहीं दिया गया। इस कारण से अपीलार्थी पदोन्नति से वंचित रखा गया। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किया है कि अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिनांक 07.10.2016 को प्रस्तुत किया, जिसमें उसे प्राप्त रिवॉर्डों की सूची संलग्न करते हुए यह निवेदन किया कि रिवॉर्ड पेटे से उसे 15 अंक दिये जाने चाहिए थे, जो उसे प्रदान नहीं किये गये। इस कारण से उसे वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया।
2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> "It is therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal be pleased to call for the service record and after examining the rewards etc. it may be pleased to :

(i) Declare that the appellant's service record has not been assessed correctly by the Board.

(ii) Declare that the appellant deserves 15 marks under Head 'Rewards' on the basis of the CCs with cash awards earned by him after 2010-11.

(iii) Declare that the appellant has thus obtained 50% of total marks in the qualifying exams and he be deemed to have passed the exams.

(iv) Direct the respondents to include name of the appellant in the select list of SIs for the vacancies of the year 2014-15 and;

(v) Direct respondents to give promotion to the appellant as Sub Inspector with all consequential benefits."

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि उक्त योग्यात्मक परीक्षा में सम्मिलित सभी स०उ०नि० गण को प्राप्त रिवार्ड/एपीए/शिक्षा/प्रशिक्षण आदि से संबंधित प्रपत्र "ख" तैयार कर संबंधित कर्मचारी को मय सेवा पुस्तिका के अवलोकित करवाया जाता है। अपीलार्थी को भी उनकी सेवा पुस्तिका एवं प्रपत्र "ख" अवलोकित करवाया गया था, तत्समय अपीलार्थी द्वारा प्रपत्र "ख" का अवलोकन कर हस्ताक्षर किए है. किन्तु उसके रिवार्ड होने या नहीं होने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र अथवा चयन मण्डल को रिवार्ड प्रस्तुत किये गये। चयन मण्डल द्वारा उक्त योग्यात्मक परीक्षा में अपीलार्थी एवं अन्य सभी स०उ०नि० गण की भाग–1 (लिखित, प्रायोगिक, परेड व आउटडोर) एवं भाग–2 की परीक्षा (सेवा रिकार्ड एवं प्रपत्र "ख") आधार पर कुल अंको का निर्धारण किया गया है। अपीलार्थी को भाग–1 एवं भाग–2 की योग्यात्मक परीक्षा में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अनुसार कुल पूर्णांक 350 अंक में से अपीलार्थी को 175 अंक प्राप्त करने आवश्यक थे, जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त योग्यात्मक परीक्षा में कुल 166 अंक प्राप्त किये है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा भाग 1 एवं भाग 2 की परीक्षाओ में प्राप्त किये गये अंको का समग्र रूप से एग्रीगेट 50 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन सूची पर नहीं लिया गया है। अतः वर्तमान परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दु तथ्यो के परे, आधारहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील सरसरीतौर पर ही निरस्त किए जाने योग्य है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। यह सही है कि अपीलार्थी को उसे प्राप्त रिवॉर्ड एवं ईनाम के पेटे कोई अंक प्रदान नहीं किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि समान मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या

8033/2020 में याची गिरधारी सिंह के संबंध में प्राप्त समस्त अवॉर्ड के अनुसार अंक दिये जाने और उसके पश्चात याची को पदोन्नति हेतु योग्य पाये जाने पर उसे नोशनल पदोन्नति दिये जाने के आदेश दिये हैं। रिट याचिका संख्या 8033/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2023 निम्न प्रकार से हैः–

"9. Being prima facie satisfied, the Court expressed a concerned that if the respondents are directed to award 14 (20-6) additional marks, he may get promotion but rights of some already promoted candidates may be adversely affected and thus it may be against propriety to grant relief behind the back of such candidates.

10. Learned counsel for the petitioner Invited Court's attention towards para No.11 of the writ petition and submitted that one Brij Prakash, would have been an affected candidate but since he has passed away during the promotion cadre course, one post is still lying vacant for the relevant year.

11. Heard learned counsel for the parties and perused the material available on record.

12. Concededly, the petitioner had received 12 awards, out of which only 3 were recorded in his service book.

13. On petitioner's representation, the remaining awards came to be entered in petitioner's service book, however subsequent to promotion exercise. Nevertheless, it is an admitted fact on record that the petitioner had received 12 awards in all during his tenure as Sub-Inspector.

14. In the opinion of this Court, the petitioner cannot be deprived of his legitimate rights because of the lapse on the part of the respondents.

15. True it is, that the petitioner was shown his service-book, whereafter he had given a certificate after being satisfied, but then, the petitioner cannot be put to a disadvantageous position, when it is an admitted case of the parties that he had received 12 awards in all.

16. In the opinion of this Court, even if the petitioner would have objected to or made representation to the respondents about non-inclusion of the remaining awards, it would have been a tedious task to include them and then give him full marks as per his entitlement. Because, recording of entry of the awards after verification would have taken a long time.

17. Be that as it may.

18. In the facts and circumstances of the present case, it is deemed expedient and hence ordered that the respondents shall accord due marks to the petitioner in relation to all awards he has received during his tenure as Sub-Inspector.

19. In case after the reallocation of marks, the petitioner becomes eligible for promotion, the petitioner shall be notionally given promotion with effect from the

year 2019-2020. The petitioner shall be entitled for actual benefits from the date of the order instant.

20. Needful be done within eight weeks from today.

21. The writ petition stands allowed accordingly.

22. The stay application also stands disposed of."

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का मामला भी उक्त रिट याचिका के समान ही है। अतः इस मामले में भी प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिये जाये कि अपीलार्थी को प्राप्त अवॉर्डो को ध्यान में रखते हुए अंक प्रदान किये जाये।

6. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया। हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8033/2020 में पारित आदेश अपीलार्थी के प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू होते हैं। अतः इस अपील को स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को उसके सहायक उप निरीक्षक पद पर रहने के दौरान प्राप्त समस्त रिवॉर्डो को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को अंक प्रदान किये जाये। इसके पश्चाते अपीलार्थी यदि पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को नोशनल पदोन्नति का लाभ दिया जाये एवं वास्तविक लाभ इस आदेश की दिनांक से प्रदान किया जाये।

7. उपरोक्त कार्यवाही एक माह में पूरी की जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)